अनूप कुमार मेंदीरत्ता
सचिव
Anoop Kumar Mendiratta
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

AR
CPC 30/09/2021

फा. सं. : 1(5)/2016-वि.सा.प्र.(का.)

14 सितंबर, 2021

हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं

महोदय,

विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का एक खंड है । इस प्रकाशन की स्थापना वर्ष 1968 में, विधि के क्षेत्र में, सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए की गई थी । यह प्रकाशन, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तीन विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहा है, जिनमें भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में पारित प्रतिवेद्य (रिपोर्टेबल) निर्णयों को हिंदी में प्रकाशित किया जाता है । यह प्रकाशन, अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ के द्विभाषी संस्करणों, भारत के संविधान, निर्वाचन मैनुअल, विधि शब्दावली और हिंदी में विधि पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए प्रदर्शनी-सह-विक्रय का आयोजन भी करता है । यह प्रकाशन उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं को अपनी वेबसाइट **http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya** पर भी होस्ट/अपलोड कर रहा है । यह भारत सरकार का एकमात्र ऐसा संगठन है, जो संविधान की भावना के अनुसार, विधि के क्षेत्र में हिंदी के संवर्धन और प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है ।

2. विधि साहित्य प्रकाशन ने, **'आजादी का अमृत महोत्सव'** के समारोहों के अवसर पर, यह विनिश्चय किया है कि उसके पोर्टल (http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya) पर उपलब्ध हिंदी की इन तीन पत्रिकाओं को 75 सप्ताह की अवधि के लिए **'आजादी का अमृत महोत्सव'** समारोह के समापन तक निःशुल्क रूप से पी.डी.एफ. प्रारूप में उपलब्ध कराया जाए । यह लिंक सभी विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जिला न्यायालयों, विधिज्ञ संघों, विधिज्ञ परिषदों और इस देश के प्रत्येक नागरिक को, देश में सभी स्तरों पर विधिक शिक्षा प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसका संवर्धन करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

3. अतः, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने प्रतिष्ठित संस्थान के पोर्टल पर (http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya) वेबसाइट का हाइपर-लिंक उपलब्ध कराएं और साथ ही विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सांविधानिक अधिदेश को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए इस जानकारी को संबद्ध व्यक्तियों तक प्रचार-प्रसार करें और संविधान में अनुष्ठापित इस उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग दें ।

सादर ।

आपका

अनूप कुमार

(अनूप कुमार मेंदीरता)

As directed,
d. C.P.C.
29.9.2021

चतुर्थ तल, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110 001
4th Floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi-110 001
Tel. : +91-11-23384617, 23387553, Fax : +91-11-23382733, E-mail : secyoffice-ld@gov.in

अनूप कुमार मेंदीरत्ता
सचिव
Anoop Kumar Mendiratta
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

F. No.1(5)/2016-VSP(B)

14th Sept. 2021.

हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं
BEST WISHES FOR HINDI DIWAS

Dear Sir,

Vidhi Sahitya Prakashan, is a Wing of Legislative Department, Ministry of Law & Justice. This Prakashan was established in the year 1968 to promote and popularize use of largest speaking language Hindi in the field of Law. To achieve this object, this Prakashan is publishing three law journals, whereby reportable judgements passed by Hon'ble Supreme Court of India and various High Courts in English language are published in Hindi. This Prakashan also organizes exhibitions-cum-sale of bilingual/diglot edition of Bare Acts, Constitution of India, Election Manual, Legal Glossary and Hindi Law Text books etc. This Department is also hosting/uploadiong the aforesaid three patrikas on its website http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya. This is the only Government of India organization in India which is engaged in promoting and popularizing Hindi in legal field according to the spirit of the Constitution.

2. On the occasion of the celebrations of "**Azadi Ka Amrit Mahotsav**" Vidhi Sahitya Prakashan has decided to make available to the public, all three law journals in Hindi on its portal (http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya) in PDF format only, free of cost for a period of 75 weeks till completion of the "**Azadi Ka Amrit Mahotsav**" celebrations. This link shall be made available to all the Universities, Law Colleges, High Courts, Tribunals, District Courts, Bar Associations, Bar Councils and each citizen of this country for popularizing and promoting the use of Hindi in imparting legal education at all levels in the country.

3. I am, therefore, to request you to kindly provide hyperlink to the website (http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya) on the portal of your esteemed institution and also disseminate information to all the concerned to promote the use of Hindi in the legal field and help to achieve the constitutional mandate.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Anoop Kumar Mendiratta)

चतुर्थ तल, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110 001
4th Floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi-110 001
Tel. : +91-11-23384617, 23387553, Fax : +91-11-23382733, E-mail : secyoffice-ld@gov.in